



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 09 नवम्बर, 2025

थाना अहमदगढ

मुकेश की हत्या का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना हैं कि दिनांक 04-11-2025 को मुकेश पुत्र हरप्रसाद निवासी ग्राम बाद थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर का शव जंगल ग्राम बाद में पेड पर फांसी लगा मिला था। मृतक के पुत्र करन की तहरीर के आधार पर थाना अहमदगढ पर मुअसं- 348/2025 धारा 191(1) /352 /351(3) /61(2) /103(1) बीएनएस व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट बनाम दीपक, 2.अमरपाल, 3.लोकेश, 4.विशाल, 5.धर्मपाल, 6.जीतू, 7.पवन निवासीगण कस्बा अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में थाना अहमदगढ पुलिस व स्वाट टीम देहात द्वारा जांच/विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान नामजद सभी व्यक्तियों की नामजदगी गलत पायी गयी तथा अन्य 04 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये।

थाना अहमदगढ पुलिस व स्वाट टीम देहात द्वारा घटना के प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों के गिरफ्तार किया गया हैं, अन्य 02 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अहमदगढ पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. कुम्भन उर्फ कुम्भीर उर्फ कुम्बीर उर्फ कुंवरपाल पुत्र स्व0 मुंशी लाल निवासी ग्राम सालाबाद थाना छतारी बुलन्दशहर ।
2. पूरन सिंह उर्फ कल्लन पुत्र स्व0 कमल सिंह निवासी पोखरगढी थाना जवां जनपद अलीगढ ।

बरामदगी-

1. 01 मोबाइल फोन

घटना का कारण- गिरफ्तार अभियुक्त कुम्भन उर्फ कुम्भीर उर्फ कुम्बीर उर्फ कुंवरपाल ने पूछताछ पर बताया कि वह मृतक मुकेश के साथ अक्सर शराब पीता था । शराब पीकर मृतक उसे गंदी गंदी गालियां देता था। कुछ दिन पहले मृतक ने शराब पीकर उसे गंदी गंदी गालियां दी तथा उसके कपडे फाड दिये। जिसका उसे बहुत बुरा लगा, उसने उसी दिन मन में ठान लिया कि अगर अगली बार मुकेश ने उसे शराब पीकर गाली दी तो वह उसकी हत्या कर देगा। दिनांक 03-11-2025 को शाम के समय वह, अभियुक्त पूरन सिंह अपने दो अन्य साथियों प्रेम सिंह व नरेन्द्र उर्फ राजू उर्फ भूरा के साथ मृतक की ट्यूबवैल पर शराब पी रहे थे। शराब पीकर मृतक ने उन्हें गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। इसी बात को लेकर चारो ने मिलकर मृतक का मूंह दबा लिया जब वह बेहोस हो गया तो चारो मिलकर मृतक को खीचकर पेड के पास ले गये तथा मृतक के अंगौछे को उसके गले में बांधकर पेड पर लटका दिया ताकि आत्महत्या लगे।

गिरफ्तार अभियुक्त कुम्भन उर्फ कुम्भीर उर्फ कुंवरपाल का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 85/87 धारा 395/397 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
2. मुअसं- 66/1992 धारा 147/323/395/504/307/436 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
3. मुअसं- 19/91 धारा 336 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
4. मुअसं- 149/92 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
5. मुअसं- 10/97 धारा 3(1) गुण्डा अधि० थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।

6. मुअसं- 75/97 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
7. मुअसं- 168/99 धारा 110G सीआरपीसी थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर
8. मुअसं- 333/2009 धारा 3(1) गुण्डा अधि० थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
9. मुअसं- 78/2014 धारा 302 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
10. मुअसं- 118/2014 धारा 110G सीआरपीसी थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
11. मुअसं- 324/2015 धारा 147/323/336/504/506 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
12. मुअसं 311/2017 धारा 147/323/504 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
13. मुअसं- 225/2022 धारा 147/148/323/336/504/506 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
14. मुअसं- 104/2018 धारा 452/323/325/504/506 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।
15. मुअसं- 121/2025 धारा 115 (2)/191(2)/191(3)/324(4)/333/351(2)/352/74 B.N.S. थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री प्रेमचन्द शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना अहमदगढ
2. व0उ0नि0 मोहसिन अहमद, उ0नि0 केशव दयाल
3. है0का0 विपिन कुमार, का0 राहुल कसाना

स्वाट टीम देहात-

1. श्री पम्मी चौधरी प्रभारी स्वाट टीम देहात ।
2. है0का0 नेत्रपाल, है0 कां0 कुलदीप सिंह, है0का0 अमित चौधरी, है0का0 इनाम, है0का0 आशु, का0 आकाश, का0 मनीष, का0 अजय, का0 विपिन, का0 नदीम



मीडिया सैल बुलन्दशहर ।